

राजशिप/उत्सेस/फ-3/पीबी-64/2000/312

दिनांक : 19.06.2000

भारत के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ

आदेश

मान्यता प्राप्त बीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त 70 सीटों की मान्यता हेतु समिति कार्यालय में दिनांक 29.2.2000 को आवेदन किया था। समिति कार्यालय द्वारा सत्र 2000-2001 से अतिरिक्त सीटों की मान्यता पर विचार हेतु संस्था का दिनांक 6-7 अप्रैल, 2000 को मूल्यांकन कराया गया था तथा संस्था की मूल भित्ति, मूल्यांकन प्रतिवेदन, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा उप-समिति द्वारा अनुमोदित एजेन्डा नोट की प्रति उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 12-13 अप्रैल, 2000 को सम्पन्न हुई 24 वीं बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किए गए थे। समिति ने प्रकरण पर विचार कर पाया कि संस्था में परिषद् मानदंडों के अनुरोध क्रियाएँ हैं अतः संस्था को निम्नलिखित कमियों की सूचना प्रेषित करते हुए उक्त कमियों के संदर्भ में परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 14 (3)(बी) के अन्तर्गत लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया जाए।

क्र.सं.	संस्था में पाई गई कमियाँ
कार्यक्षेत्र पाठ्यक्रम की कमी	संस्था के पास वर्तमान में 5 व्याख्याता तो नियमित वेतन शृंखला में पुराने कार्य कर रहे हैं किन्तु 8.9.99 से 7 व्याख्याता एडवॉकेट पर एकमुस्त वेतन 6000/- मासिक पर कार्य कर रहे हैं। जबकि संस्था के पास 130 सीटों के लिए 13 व्याख्याता निर्धारित चयन समिति से चयनित व निर्धारित योग्यता के होने चाहिए। मानदंडानुसार संस्था के पास 8 व्याख्याताओं की कमी है।
अतिरिक्त पाठ्यक्रम की कमी	अतिरिक्त सीटों के लिए परिषद् के नार्मल एण्ड स्ट्रेण्डर्स के पैर 2.1, 2.2, 2.3 व 2.5 के अनुसार निर्धारित योग्यता व दिश्यों के अनुसार नियमानुसार राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/यूजीसी/ के निर्देशानुसार गठित चयन समिति द्वारा पूर्णकालिक एवं नियमित वेतन शृंखला में चयनित टीडर/व्याख्याताओं की 1:10 के मानदंडों से कमी है। और ना ही अब तक नियमानुसार नया प्रक्रिया प्रारंभ कर टीडर/व्याख्याताओं का चयन कर उनसे परिषद् द्वारा मान्यता मिलने पर कार्यप्रारंभ करने की सतथति प्राप्त की है।


समिति के निर्णयानुसार संस्था को दिनांक 26.4.2000 को नोटिस क्रमांक राजशिप/उत्सेस/फ-3/पीबी-64/2000/897 जारी किया गया था। संस्था ने उपरोक्त नोटिस का उत्तर अपने पत्र दिनांक 19.5.2000 एवं दिनांक 1.6.2000 के द्वारा प्रेषित किया था। संस्था के लिखित अभ्यावेदन एवं संस्था की मूल भित्ति, मूल्यांकन प्रतिवेदन, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज आदि उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 8-9 जून, 2000 को सम्पन्न हुई 26 वीं बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति ने प्रकरण पर विचार कर पाया कि संस्था के बीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त सीटों की मान्यता को संस्था में परिषद् मानदंडों के अनुसार पाई गई निम्नलिखित कमियों के कारण अस्वीकार कर दिया जाए।

क्र.सं.	संस्था में पाई गई कमियाँ
1	संस्था को अतिरिक्त 70 सीटों के लिए मानदंडों के अनुसार 7 प्रवक्ता चाहिए। परिषद् मानदंडों के पैर 2.2 के अनुसार निर्धारित योग्यता में मानदंडों के पैर 5.3 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुनर्निश्चित वेतन शृंखला के साथ

-2-

7 प्रवक्तृओं की कमी है। संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए 7 प्राध्यापक नियुक्ति योग्यता नहीं रखते हैं, न ही पैरा 5.3 के अनुसार वेतन वृद्धता देने का प्रस्ताव है।

उत्तर क्षेत्रीय समिति के उपरोक्त निर्णय के अनुसार मान्डोगोरी गुरुनानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आदर्श नगर, जालंधर, पंजाब द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त सीटों की मान्यता को संस्था में पाई गई अपरोक्त कमियों के कारण तुरंत प्रभाव से अस्वीकार किया जाता है तथा संस्था एवं सम्बन्धित अधिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि संस्था में बीएड पाठ्यक्रम में मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक सीटों पर प्रवेश न करें। यदि संस्था या सम्बन्धित विश्वविद्यालय अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश करता है तथा उन छात्रों की परीक्षा आयोजित कर उनके बीएड पाठ्यक्रम की उपाधि प्रदान करता है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत उन छात्रों को उदात्त बीएड की उपाधि केन्द्र सरकार कोई भी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय अन्य शैक्षिक संस्थान जो कि केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार से अनुदानित हो में रोजगार के लिए वैध योग्यता नहीं मानी जाएगी यदि संस्था चाहे तो उक्त आदेश के सापेक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 18 के अधीन परिषद् मुख्यालय में इस आदेश के जारी होने की तिथि से 60 दिन के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मुख्यालय के समक्ष अपील कर सकती है। अपील के संदर्भ में दिशा-निर्देश आदेश के साथ संलग्न किए जा रहे हैं। इस आदेश का अंग्रेजी अनुवाद शीघ्र जारी किया जा रहा है।

आज्ञा से

(डॉ० एस.एन. मैठी)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रति —

प्रधान्यक

भारत सरकार

प्रकाशन विभाग

सिविल लाइन्स, दिल्ली- 110054

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. शिक्षा सचिव, पंजाब सरकार, शासन सचिवालय, चण्डीगढ़
2. डी.पी.आई. कॉलेज, पंजाब सरकार, चण्डीगढ़
3. कुल सचिव, गुरुनानक विश्वविद्यालय, अमृतसर
4. सदन्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली
5. प्राचार्य, मान्डोगोरी गुरुनानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आदर्श नगर, जालंधर, पंजाब
6. कम्प्यूटर फाइल (उक्षेप)


क्षेत्रीय निदेशक